न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 01 / 2023

तोफिक उचित मूल्य दूकानदार ग्रांम पंचायत लाडमका तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर
......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 7–12–2022 जिला रसद अधिकारी भरतपुर व प्रकरण 11 / 19

उपस्थितः–
1–श्री पंकज कुमार,अभिभाषक अपीलान्ट,
2–प्रवर्तन अधिकारी,पेरोकार रसद,

निर्णय दिनांक 3.8.2023

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 7–12–2022 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट तोफिक, उचित मूल्य दुकानदार, ग्रांम पंचायत लाडमका तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने एवं उसकी समस्त जमा प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि जिला कलेक्टर के पूर्व आदेश दिनांक 21.10.2021 की पालना नही की गई है। तहत न्यायालय ने जिला कलेक्टर के पूर्व आदेशों की पालना में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों की जांच मौके पर जाकर नहीं की गई है, और नाहीं शिकायतकर्ताओं एवं स्वतन्त्र गवाहों के कोई बयान लिये गये हैं। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि तहत न्यायालय ने पूर्व मौका जांच रिपोर्ट पर भी कोई ध्यान नहीं दिया मौके पर अपीलान्टस डीलर के पास से कोई अतिरिक्त गेंहू व कैरोसीन जप्त नहीं किया गया है डीलर के पास स्टाक अनुसार माल मौजूद था, इस

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तहत न्यायालय ने पूर्व आदेश जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा रिमान्ड में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार रसद ने अपने तर्को में जाहिर किया है कि अपीलान्ट ने अपील में गलत तथ्य अंकित किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जो शपथ पत्र दिये गये हैं वे सब डीलर ने दबाब डाल कर बनवाये गये हैं, और कमजोर तबके के लोगों से लिये गये हैं। अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया हैं अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य तर्क है – कि तहत न्यायालय ने जिला कलक्टर,भरतपुर के पूर्व आदेश दिनांक 21.10.21 रिमान्ड में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की गई है। प्रस्तुत शपथ पत्रों की जांच मौके पर जाकर नहीं की गई है, और नाहीं शिकायतकर्ताओं एवं स्वतन्त्र गवाहों के कोई बयान लिये गये हैं।

हमने पूर्व निर्णय दिनांक 21.10.2021 का अवलोकन किया, निर्णय के पृष्ठ–3 द्वितीय पैरा में अंकित किया है :–

> "......वक्त जांच निरीक्षणकर्त्ता द्वारा शिकायतकर्त्ताओं के अलावा किसी भी स्वतन्त्र गवाह के बयानात नहीं लिये गये हैं, पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 22.2.2019 पर स्वयं डीलर के भी हस्ताक्षर नहीं है, इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों की सत्यता की जांच भी तहत न्यायालय द्वारा नहीं की गई। अपीलान्ट को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का भी कोई मौका नहीं दिया गया है जो विधिसम्मत नही है.........।"

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

तहत न्यायालय पत्रावली में शामिल आदेशिकाओं पर तारीख पेशी वाईज गौर किया गया। तहत न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रुप किसी भी उपभोक्ता स्वतन्त्र गवाहों को तलब किये जाने का कोई उल्लेख आदेशिकाओं में नहीं है और नाहीं अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत कथित शपथ पत्रों की सत्यता के बाबत शपथ पत्र देहान्दाओं को ही शपथ पत्र की सत्यता की जांच के लिये बुलाया गया है। केवल अपीलान्ट द्वारा पुनः प्रस्तुत जबाब पर प्रवर्तन अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व निर्णय दिनांक 21.10.2021 में दिये गये निर्देशों/आदेशों पालना ना कर मन मर्जी से अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.12.22 पारित किया गया है। ऐसे आदेश को हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भरतपुर को पुनः निर्णय किये जाने हेतु रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 01 / 2023
तोफिक बनाम डी.एस.ओ.भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.12.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी,भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस न्यायालय के पूर्व निर्णय 21.10.2021 में दिये गये निर्देशों/ आदेशों की पालना करते हुये पुनः सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.8.2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर